सील्ड /रजिस्टर्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-29/2022/124/22-2-2022-17(795)/2021
लखनऊ: दिनांक: 18 मई, 2022

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, अलीगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शंकरपाल सिंह (बन्दी संख्या-212/2017) पुत्र श्री चन्द्रपाल सिंह, जो-विस्तौली, थाना-अकराबाद(वर्तमान थाना-विजयगढ़), जनपद-अलीगढ़ का रहने वाला है, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-329/1981 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 323/149, 324/149, 148 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, अलीगढ़ के आदेश दिनांक 26.07.1982 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 13.01.2017 द्वारा यथावत रखा गया, की आयु 76 वर्ष 08 माह 22 दिन होने, दिनांक 25.12.2021 तक 04 वर्ष 10 माह 13 दिन की अपरिहार सजा तथा 06 वर्ष 02 माह 23 दिन की भोगी गयी सपरिहार सजा, संतोषजनक जेल आचरण, वृद्धावस्था, के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी द्वारा अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-29/2022/124(1)/22-2-2022 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़।
3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़।
4- अधीक्षक, जिला कारागार, अलीगढ़।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in